वित्तीय संशाधनों की वृद्धि के सम्बन्ध में सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 05.07.2022 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. श्रीमती स्वाति एस0 भदौरिया, प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
2. श्री विनीत कुमार, प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊ मण्डल विकास निगम, नैनीताल (ऑनलाईन माध्यम से)।
3. श्री निशान्त वर्मा, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
4. श्री एस0एल0 पैट्रिक, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
5. श्री अनिल सिंह गर्बयाल, महाप्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
6. श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, जनपद देहरादून।

बैठक में वित्तीय संशाधनों की वृद्धि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर सचिव, खनन विभाग द्वारा विस्तृत चर्चा व समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में वन विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊ मण्डल विकास निगम द्वारा उनसे सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दुओं के सन्दर्भ में दिये गये विभागीय आँकडों की समीक्षा के उपरान्त सचिव, खनन विभाग द्वारा बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार निम्न निर्णय लिये गये–

1. निगमों को आवंटित लॉटों मे खनिमुख पर उपखनिजों की बिक्री दर अधिक होने से उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य पर उपखनिज की आपूर्ति होने के दृष्टिगत बिक्री मूल्य कम किये जाने, गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊं मण्डल विकास निगम के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी 2% के स्थान पर 4% लिया जाना तथा जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 मिलाकर कुल 18% लिया जाना जबकि वन विकास निगम लि0 के द्वारा जी0एस0टी0 5% लिये जाने, निगमों को लाभाश, रॉयल्टी का 10% अनुमन्यता के उपरान्त भी अतिरिक्त संचालन व्यय रू0 56.00 प्रति टन से रू0 73.3 प्रति टन लिये जाने का आधार स्पष्ट न होने तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊ मण्डल विकास निगम के द्वारा आयकर (टी0डी0एस0) 2% लिया जाना जबकि वन विकास निगम के द्वारा आयकर (टी0डी0एस0) 2.5% लिये जाने के सम्बन्ध में तीनो निगमों की निर्धारित बिक्री दर की विस्तृत समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में वन विकास निगम द्वारा लिये जा रहे सुरक्षा एवं सीमांकन को निर्धारित दरों से हटाये जाने तथा परिचालन व्यय अत्यन्त अधिक होने व लाभांश (10%) के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में वन विभाग के साथ पृथक से बैठक आहुत कर उक्त दरों के निर्धारण पर पुनर्विचार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

   बैठक में गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊ मण्डल विकास निगम द्वारा निर्धारित बिक्री दर में लिये जा रहे अत्यधिक संचालन व्यय व स्टाम्प शुल्क (02%) का दौहरा निर्धारण किये जाने का संज्ञान निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा कराये जाने पर यह मत स्थिर किया गया कि दोनों निगमों के स्तर से लिये जा रहे संचालन व्यय का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं है, इस दर को निर्धारित बिक्री दरों से पृथक करने तथा स्टाम्प शुल्क (02%) को एक ही बार लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा उपखनिज की निकासी हेतु चयनित होने वाले लॉट संचालक के मध्य एक ही एम0ओ0यू0 निष्पादन की कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश सहित जी0एस0टी0 की दर, जो दोनों निगमों द्वारा 18% निर्धारित की गयी है परन्तु लॉट संचालक से 05% ही चार्ज किया जाता है, के परस्पर विरोधाभास के सम्बन्ध में वित्त विभाग को प्रकरण संदर्भित करते हुये जी0एस0टी0 की दर के वास्तविक निर्धारण पर स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. विगत तीन वर्षों मे गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्वारा कुल रू0 159.82 करोड़, कुमांऊ मण्डल विकास निगम के द्वारा कुल रू0 19.60 करोड़ तथा वन विकास निगम के द्वारा 330.98 करोड, अर्थात् कुल 510.40 करोड़ की सरकार को राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में तीनों निगमों के स्तर से राजस्व क्षति का लॉटवार स्पष्ट कारण लिखित रूप से शासन को अधिकतम 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. निगमों को आवंटित समस्त खनन लॉटों मे उपखनिज का चुगान कार्य न किये जाने के कारण निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति न होने के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को ऐसे सभी खनन लॉटों की लॉटवार सूचना/विवरण उपलब्ध कराते हुये आगामी खनन सत्र के प्रारम्भ होने की तिथि दि0 01.10.2022 से पूर्व सभी लम्बित प्रकरणों को दुरूस्त करते हुये ऐसे सभी लॉटों का संचालन अनिवार्य दशा में दि0 01.10.2022 से प्रारम्भ कर दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं के निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को गति देने हेतु आवेदक/संचालकों के साथ समन्व्य स्थापित कर ऐसे रिक्त लॉटों को आधार मूल्य पर आवंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम को निर्देशित किया गया।

4. निगमों के द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन लॉटों की पर्यावरणीय अनुमति आदि समयान्तर्गत प्राप्त न करने के कारण उपखनिज की आपूर्ति प्रभावित होने, उपखनिज की मात्रा की सम्पूर्ण निकासी न किये जाने तथा राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में लम्बे समय से पर्यावरणीय अनुमति के लम्बित मामलों की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने हेतु पुनः नवीन प्रस्ताव तैयार करते हुये राज्य में निकट समय में गठित होने वाली राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से वांछित अनुमति प्राप्त करने हेतु तीनों निगमों के उपस्थित सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

5. निगमों के खनन पट्टे की नवीन स्वीकृति/नवीनीकरण के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में तीनों निगमों से सम्बन्धित ऐसे सभी प्रकरणों को तत्काल प्रस्तुत करने हेतु अनुभाग को निर्देशित किया गया।

6. निगमों के द्वारा स्वीकृत खनन लॉटों को काफी समय से रिक्त रखकर उन्हें समर्पित न कर अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित खनन लॉट, जिसमें निगम विगत कई वर्षों से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त नही कर पा रहा है, को निगम से समर्पित कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित किया गया कि जिन लॉटों का समर्पण निगमों द्वारा कर दिया गया है, को ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित किये जाने की कार्यवाही अमल में लाते हुये ऐसे सभी लॉटों की अद्यावधिक स्थिति सम्बन्धित निगमों से ज्ञात कर समर्पित होने वाले अन्य लॉटों के सम्बन्ध में भी उक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही की जाय।

7. पूर्व मे स्वीकृत खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु पुनः पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध मे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक वन विकास निगम से उक्त नोटिफिकेशन का पुनः अध्ययन कर स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

8. निगमों को आवंटित खनन लॉटों मे वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य तथा निर्धारित मात्रा की सम्पूर्ण निकासी सुनिश्चित कराते हुये अपेक्षित राजस्व प्राप्ति के दृष्टिगत तकनीकी विशेषज्ञ के रूप मे माईनिंग इंजीनियर/भूवैज्ञानिक को रखे जाने के सम्बन्ध में तीनों निगमों के सक्षम अधिकारियों को उनसे सम्बन्धित निगमों में अनिवार्य रूप से माईनिंग इंजीनियर/भूवैज्ञानिक रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

9. गढ़वाल मण्डल विकास निगम को जनपद देहरादून स्थित राजस्व खनन लॉट आसन 14/8 के पोर्टल खोलने, सारना–17/1, यमुना नदी 21/1, 21/3 व जाखन नदी 13/2 मे लॉट संचालकों की पूर्व देयता के परिप्रेक्ष्य में राजस्व खनन लॉट आसन 14/8 की मात्रा का निर्धारण पूर्व में 3.00 लाख टन होने तथा वर्तमान में 1.18 लाख टन संशोधित कर दिये जाने हेतु मात्रा निर्धारण के लिये जिम्मेदार अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम को अधिकृत किया गया तथा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि 01 अक्टूबर 2022 से संचालित लॉटों के पोर्टल अनिवार्य रूप से

खोले जायें, पोर्टल खोलने में विलम्ब के लिये सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा किसी भी प्रकार के विलम्ब का दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

राजस्व खनन लॉट यमुना 21/1, 21/3, जाखन 13/2, सारना 17/1 एवं बंजारेवाला आदि से सम्बन्धित मामलों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा प्रेषित आख्या/सूचनाओं के आधार पर सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत करने हेतु अनुभाग को निर्देशित किया गया।

10. गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमांऊ मण्डल विकास निगम के खनन लॉटों को वापस लेने व उनके नियंत्रणाधीन मानव संशाधनों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु सब्सिडी/अनुदान देने के सम्बन्ध में तीनों निगमों की विगत 03 वर्षों की Performance संतोषजनक न होने तथा अपेक्षित राजस्व प्राप्ति के स्थान पर सरकार को राजस्व हानि की स्थिति बने रहने की दशा में ऐसे सभी राजस्व खनन लॉटों/वन क्षेत्र के लॉट वापसी हेतु निर्देशित किया गया।

11. वन विकास निगम के द्वारा राज्य की सीमावर्ती खनन लॉटों (जैसे कोटावली, मालन इत्यादि) से आर0बी0एम0 राज्य से बाहर, उत्तरप्रदेश मे परिवहन हेतु अपेक्षित अनुमति के सम्बन्ध में शासन से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पूर्व में ही निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित किया जा चुका है, बैठक में पुनः निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित किया गया है कि यदि प्रदेश से बाहर आर0बी0एम0 के परिवहन हेतु रोक इत्यादि नहीं है तो ऐसी दशा में नियमानुसार अनुमति दिये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाय।

12. वन विकास निगम को आवंटित तहसील नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज स्थित चन्द्रभागा नदी लॉट सं0 16, (190 है0) के सीमाबन्धन मे हो रहे विलम्ब से एफ0सी0, पर्यावरणीय अनापत्ति एवं राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद की अनुमति प्राप्त न हो पाने के सम्बन्ध में वन विकास निगम द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत प्रश्नगत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने हेतु निजी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को सक्षम व अधिकृत बताये जाने पर प्रकरण में वन विकास निगम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आख्या के क्रम में प्रकरण में विधिक परामर्श प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव न्याय विभाग को संदर्भित किये जाने हेतु सम्बन्धित पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश अनुभाग को दिये गये।

13. प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों व मैदानी क्षेत्रों की रॉयल्टी एवं मैदानी क्षेत्रों की विभिन्न नदियों की रॉयल्टी दर को एकसमान किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से बैठक आहुत कर विभागीय मत स्थिर कर तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अनुभाग को निर्देशित किया गया।

14. जिला खनिज न्यास में अंशदान का प्रतिशत रायल्टी का 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग को पूर्व से संदर्भित पत्रावली का अनुश्रवण किये जाने हेतु अनुभाग को निर्देशित किया गया।

15. बैठक में तीनों निगमों के उपस्थित सक्षम अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि नवीनीकरण के सभी मामलों में नवीनीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव लॉट की नियत अवधि से 06 माह पूर्व शासन को संदर्भित किया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि निर्धारित समय पर नवीनीकरण की स्वीकृति सुनिश्चित करायी जा सके।

16. वन विकास निगम द्वारा किये गये अनुरोध के संदर्भ में समतलीकरण की अनुज्ञाओं व निगमों के राजस्व/वन क्षेत्र लॉट की रॉयल्टी दरें एक समान रखे जाने के सम्बन्ध में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को इसका समुचित परीक्षण व अध्ययन कर पूर्ण औचित्य सहित विस्तृत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

17. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किये गये अनुरोध के अनुरूप वन निगम को आवंटित आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तलों की प्री–मानसून डाटा तथा सम्बन्धित फर्म/संस्था से करांये गये Replenishment Study की रिर्पोट वन विकास निगम को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त वन विकास निगम को आवंटित कोसी व दाबका नदियों में खनन सत्र 2018–2019 व 2019–2020 में अग्रिम जमा रॉयल्टी के अवशेष टनों का समायोजन आगामी खनन सत्र में किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को भेजे गये वन विकास निगम के प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित किया गया।

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या– 1064/VII-A-1/2022/8(03) 2022
देहरादून, दिनांकः 06 जुलाई, 2022

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त प्रतिभागी अधिकारीगण।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनुसचिव